



सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस



दिनांक 06.01.2025

मात्र 12 घण्टे के अन्दर हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुये इटावा पुलिस द्वारा 01 अभियुक्ता पत्नी सहित कुल 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।
कब्जे से 01 पल्सर मोटर साइकिल, आलाकत्ल ईंट की गयी बरामद ।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण, अपर पुलिस अधीक्षक नगर इटावा के कुशल मार्गदर्शन, क्षेत्राधिकारी जसवन्तनगर के नेतृत्व में थाना बढ़पुरा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही ।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 05.01.2025 को वादी तहसीलदार पुत्र रामपूते निवासी खेड़ापती मोहल्ला थाना इकदिल जनपद इटावा द्वारा थाना बढ़पुरा पर लिखित तहरीरी सूचना दी गयी कि दिनांक 03.01.2025 को उसके पुत्र मनोज उम्र 35 वर्ष को राहुल एवं रोहित ने अपने साथ ले जाकर उसकी हत्या कर दी । जिसका शव दिनांक 04.01.2025 को समय सुबह 09.00 बजे के करीब यमुना पुल से करीब 01 किलोमीटर मानिकपुर जाने वाले रास्ते पर मिला । इसमें मेरी बहु द्वारा हत्या करवायी गयी एवं शव को छिपाने के उद्देश्य से सड़क किनारे फेंक दिया गया । सूचना पर तत्काल थाना बढ़पुरा पर मु0अ0सं0 02/2025 धारा 103(1)/238/61(2)/3(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

नोट:- उक्त सम्बन्ध में दिनांक 05.01.2025 को समस्त न्यूज पेपर की पेपर कटिंग में खबर प्रकाशित की गयी थी जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा तत्काल क्षेत्राधिकारी जसवन्तनगर को घटना की सत्यता की जाँच हेतु निर्देशित किया गया था जिस पर तत्काल क्षेत्राधिकारी जसवन्तनगर नागेन्द्र चौबे द्वारा थाना बढ़पुरा पुलिस टीम के साथ वादी पक्ष से पूछताछ की गयी थी जिससे उनके रिश्तेदार के संलिप्त होने की घटना सामने आयी थी । उक्त संबंध में क्षेत्राधिकारी जसवन्तनगर द्वारा तत्परता दिखाते हुये घटना में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु त्वरित कार्यवाही करते हुये 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं वाँछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 06.01.2025 को थाना बड़पुरा पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग की जा रही थी। इसी दौरान प्राप्त आपराधिक अभिसूचना के आधार पर थाना बड़पुरा पुलिस टीम द्वारा आवश्यक बल प्रयोग कर 01 अभियुक्ता सहित कुल **03 अभियुक्तों को यमुना पुल से लगभग 200 मीटर पहले समय 08.40 बजे सुबह 01 मोटर साइकिल सहित** गिरफ्तार किया गया।

पुलिस पूछताछ:-

पकड़े गये अभियुक्तों से पुलिस टीम द्वारा कड़ाई से पूछताछ की गयी तो अभियुक्त रोहित द्वारा बताया गया कि वह रिश्ते में मनोज का ममेरा भाई लगता है जिस कारण उसका घर आना-जाना लगा रहता था इसी के चलते उसका मनोज की पत्नी से पिछले 01 वर्ष से प्रेम प्रसंग हो गया था एवं मनोज अपनी पत्नी को मारता-पीटता एवं परेशान करता था इसी कारण से उसकी पत्नी ने मनोज की हत्या करने के लिये उसे 3,50,00,0/- रूपये देने की बात कही और उसे 15000/- रूपये एडवान्स दे दिये थे।

इसलिये मैं दिनांक 03.01.2025 की रात्रि को अपने भाई राहुल तथा मनोज की पत्नी के साथ षडयन्त्र करके मनोज को नुमाइश दिखाने के बहाने घर से बाहर ले गया और उसे शराब पिलायी जब वह नशे में हो गया तो उसके सिर पर ईंट से कई बार करके उसकी हत्या कर दी तथा शव को यमुना में बहाने के लिये मोटर साइकिल पर रखकर ले जा रहे थे तभी मोटर साइकिल अनियंत्रित हो गयी जिससे उसका शव यमुना पुल से करीब 01 किलोमीटर मानिकपुर जाने वाले रास्ते पर गिर गया और हम लोग वहाँ से भाग गये।

अभियुक्तों की निशादेही के आधार पर आलाकत्ल ईंट बरामद की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. राहुल पुत्र रामभरोसे निवासी ग्राम बुसा थाना इकदिल जनपद इटावा **उम्र करीब 21 वर्ष।**
2. रोहित पुत्र रामभरोसे निवासी ग्राम बुसा थाना इकदिल जनपद इटावा **उम्र करीब 19 वर्ष।**
3. 01 अभियुक्ता।

बरामदगी:-

1. 01 ईंट आलाकत्ल।
2. 01 मोटर साइकिल पल्सर रंग काला (UP75 AU 4397)
3. 01 टूटी हुयी शराब की बोटल

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 02/2025 धारा 103(1)/238/61(2)/3(5) बीएनएस थाना बड़पुरा जनपद इटावा।

पुलिस टीम- श्री नागेन्द्र चौबे क्षेत्राधिकारी जसवन्तनगर, निरी0 गणेश शंकर द्विवेदी मय टीम।

नोट:- उक्त सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा 10,000/- रूपये की राशि से पुरस्कृत किया गया।

